लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, प्रस्तावक, श्री कार्तिक राठी, निदेशक, पता–बी0–37, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर, राजस्थान के द्वारा चानन नदी ब्लॉक–07 बालू घाट, मौजा–गोडिया, अंचल–बॉका, जिला–बॉका में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 24.07.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल सभागार बाँका, जिला–बाँका** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2306/2023, दिनांक 16.02.2023 के आलोक में श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बॉका की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना'' एवं ''दैनिक जागरण'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **22.06.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा चानन नदी ब्लॉक–07 बालू घाट, मौजा–गोडिया, अंचल–बॉका, जिला–बॉका में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री कार्तिक राठी, निदेशक को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–07 में 55.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 1780974 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1745.08 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–07 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 3 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।

5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।

7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।

8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।

9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री शिवशंकर, ग्राम–बंशीपुर, जिला–बाँका के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए लगाये जाने वाले वृक्षों तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को वृक्ष बांटे जाने का अनुरोध किया गया।	लगाये जाने वाले वृक्षों का रख–रखाव एवं सिंचाई की व्यवस्था संवेदक के द्वारा परियोजना अवधि में किया जायेगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 2 माली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों का रख–रखाव संवेदक के द्वारा किया जाना है।
2.	श्री कांति कुशवाहा, ग्राम–बलालपुर, जिला–बाँका के द्वारा खनन गतिविधि के कारण नदी से सटे गांवों से आने–जाने में परेशानी, बच्चों की सुरक्षा एवं रोजगार की जानकारी मांगी गई।	आवागमन के लिए गांव से बाहर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जायेगा। बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों का रख–रखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रोजगार में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जायेगा।
3.	श्री राहुल कुमार सिंह, ग्राम–पथरा, जिला–बाँका के द्वारा रास्ते में स्कूल पड़ने की सूचना देते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी गई।	विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय पर गाड़ियों का परिवहन रोक दिया जायेगा। ढुलाई के लिए उपयोग होने वाला मार्ग विद्यालय से दूर रखा जायेगा।
4.	मो0 जलालउद्दीन, ग्राम–खड़ीहारा, जिला–बाँका द्वारा संवेदक के द्वारा पूर्व में भी नियमानुसार बालू उत्खनन कराये जाने तथा उससे ग्रामीणों को लाभ होने का सूचना दिया गया तथा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन किया गया।	
5.	श्री रोहित कुमार, ग्राम–गोडिया, जिला–बाँका के द्वारा बालू उठाव से धूल–मिट्टी उड़ने का प्रश्न उठाया गया।	धूल दमन के लिए नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों के दोनों किनारे पर वृक्षारोपण कराया जायेगा।
6.	मो0 फैयाज, ग्राम–खड़ीहारा, जिला– बाँका के द्वारा प्रस्तावित परियोजना से खुशी व्यक्त करते हुए प्रस्तावित परियोजना का समर्थन किया गया।	
7.	श्री कमलेश कुमार, ग्राम–सादपुर, जिला–बाँका के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को पौधा बांटे जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष की दर से कुल 559 वृक्ष लगाये जाने का प्रस्ताव है। इन वृक्षों का देखभाल पर्यावरण प्रबंधन कोष के

		तहत किया जायेगा। प्रस्तावक के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व के परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 5000 वृक्ष लगाये जा चुके हैं। प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों को वृक्ष प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया।

संवेदक के प्रतिनिधि के द्वारा सूचित किया गया कि विद्यालय से 500 मीटर दूर से रास्ता बनाया गया है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार में योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव के विकास के लिए जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उसपर प्रस्तावक के द्वारा सकारात्मक कारवाई की जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष महोदया के द्वारा बताया गया कि बालू का नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदया के द्वारा प्रस्तावक को विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण प्रबंधन कोष के तहत लगाये जाने वाले वृक्षों का रख–रखाव किये जाने, धूल–कण के दमन हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव कराने तथा ग्रामीणों के अनुरोध के आलोक में सार्वजनिक कार्यक्रमों के तहत वृक्ष वितरण कराये जाने का निदेश दिया गया। प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

अध्यक्ष महोदया के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

24-7-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता (लो0 शि0 नि0),
बाँका

उपस्थिति सूची

मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड (कार्तिक राठी), B-37, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 द्वारा चानन नदी ब्लॉक 07 बालू घाट, मौजा-गोडिया, अंचल-बाँका, जिला-बाँका का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **24.07.2023** को पूर्वाहन् **11:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः अंचल सभागार बाँका, जिला-बाँका में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	प्रतिमा कुमारी	ADM (PGR) & DPGRO Banka	[signature] 24.07.23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Pollution Control Board	[signature] 24.7.2023
3.	KUMAR RANJAN	MINERAL DEVELOPMENT OFFICER, BANKA. DEPT. OF MINES & GEOLOGY	[signature] 24/07/2023
4.	Awadhesh Kumar	Mine Inspector, Banka	[signature] 24/07/2023
5.	Aneish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 24/07/2023
6.	नीतीश कुमार	P & M Solution, Noida (पर्या० सलाहकार)	Nitish Ku.
7.	Sushil	Lalkothi, Vijay Nagar chowk, BANKA	[signature]
8.	Aman	Lal Kothi / BANKA	[signature]
9.	शिव शंकर सिंह	कटोरिया, बाँका	[signature]
10.	Rahul Kumar Singh	New Police Line Pathury	[signature]
11.	भवेश कुमार	[illegible]	[signature]

12.	Abhimanyu Kr. Singh	Near new police line Pathra	Abhimanyu Singh
13.	Saurabh Kumar	Near police line pathra	[illegible]
14.	MD. KaaBAR	At - Kharihara P.S Barahat	मो॰ कैबार
15.	Banti kumar singh	New Police line Pathra	Bonti
16.	Punishottam सन्तोष	Bishampur	[illegible]
17.	मो॰ मेराज	खड़ीहारा	Meraj.
18.	निर्मल सिंह	विशमपुर	[illegible]
19.	Kanish kumar	English [illegible]	[illegible]
20.	Manish Kumar	Aligang Banka	manish kumar
21.	Md. Zamiruddin	Khari Lara Banka	[illegible]
22.	Rakesh kumar yadav	At - Aligary Banka.	Rakesh kumar yadav
23.	रोहित कुमार मांझी	मजुलियामोड़ - बांका	रोहित कुमार मांझी
24.	उत्तम [illegible]		उत्तम [illegible]
25.	माधव [illegible]	डोमारपाड़	माधव [illegible]
26.	अवधेश सिंह	पथरा	अवधेश

27.	मो० कमाल	खड़िहरा बाँका	M.d. Fayaz
28.	मो० जावेद रजा	खड़िहरा बाँका	मो० जावेद रजा
29.	उपेन्द्र यादव	नकतौरी	उपेन्द्र यादव
30.	श्याम मंडल	मकसौंसा	श्याम मंडल
31.	Rajendra Mandal	Naksosa	Raju
32.	मन्नु शाह	मकसी	मन्नु शाह
33.	निकेश कुमार	समुखिया मोड़	निकेश कुमार
34.	AMAR NATH PASWAN.	समुखियामोड़	Afensh.
35.	Chhotu Kumar	Samukia mora	Chhotu Kr.
36.	विक्की सिंह	डोमारवॉड (समुखियामोड़)	[illegible]
37.	प्रीतम कुमार	डोमारवॉड (समुखिया मोड़)	[illegible]
38.	गिरिश सिंह	पथरा	गिरिश सिंह
39.	विनोद सिंह	पथरा	विनोद
40.	अखिलेश सिंह	पथरा	अखिलेश
41.	रामगोविन्द सिंह	पथरा	रामगोविन्द सिंह

42.	पंकज यादव	नकसोशा	पंकज यादव
43.	बिरजू यादव	नकसोसा	बिरजू यादव
44.	कन्हार मंडल	"	कन्हार मंडल
45.	बबलू साह	नकसीसा	बबलू साह
46.	मिलन कुमार	कोल	मिलन कुमार
47.	हिमांशु कुमार	बोका	[signature]
48.	गौरी शंकर	कोका	[signature]
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			